COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES विलोपित

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES विलोपित

COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

न्यायालय :- राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर।

प्रकरण क्रमांक- /06 पुनर्विलोकन

Rev- 629/II/06

श्रीमती अर्चना बाई पत्नी अभिलाष कुर्मी
निवासी तलापार तहसील खुरई जिला सागर
म०प्र० -----आवेदक

श्री ... द्वारा आज दि० ...31/3/06... को प्रस्तुत।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

विरुद्ध

हेमन्त कुमार ना०बा० पिता हुकुम सिंह पुत्र रूप सिंह संरक्षक फूलरानी पत्नी रूप सिंह कुर्मी निवासी ग्राम निर्तला तहसील खुरई जिला सागर म०प्र०

-----अनावेदक

पुनर्विलोकन अन्तर्गत धारा 51 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 बावत् आदेश श्री मनोज श्रीवास्तव सदस्य निगरानी प्रकरण क्रमांक-आर-1086/111/2005 आदेश दिनांक 30 जनवरी 2006

माननीय महोदय,

आवेदिका का प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1- यह कि, माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कुछ ऐसी भूले है तथा कुछ आधारों को माननीय न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया और कुछ आधारों पर अपना निर्णय ही नहीं दिया गया । तथा उक्त आधारों पर विचार न कर प्रार्थी न्याय पाने से वंचित रही है इस कारण आलोच्य आदेश पुनर्विलोकन योग्य है ।

31.3.06

2- यह कि, आवेदिका द्वारा अपने निगरानी ज्ञापन में उठायी गयी आपत्तियों का एवं मौखिक तर्कों का आदेश में न तो उल्लेख हो सका है और न ही उनका विनिश्चयन किया गया है, यह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

पुनरावलोकन प्रकरण कमांक : 629/II/ 2006 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22.4.2014	न्यायालयीन प्र0क0 1086/III/2005 में तत्कालीन सदस्य व्दारा पारित आदेश दिनांक 30 जनवरी, 06 के पुनरावलोकन हेतु यह आवेदन प्राप्त हुआ है, जिस पर मान. अध्यक्ष राजस्व मण्डल की निराकरण हेतु अनुमति है। 2/ पुनरावलोकन के आधारों पर आवेदिका के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ विद्वान अभिभाषक व्दारा तर्को बताया कि पूर्व में पारित आदेश दि. 30 जनवरी, 06 में कुछ तथ्य ऐसे रह गये है जिससे आवेदिका न्याय पाने से बंचित हुई, कारण यह है कि इस पर विचार नहीं हुआ कि विकेता संरक्षक फूलरानी कुर्मी व्दारा विवादित भूमि अभिभक्त कुटुम्व की संपत्ति से कय की है एंव भूमि को विकय करने का श्रीमती फूलरानी को अधिकार है। नावालिग की पढ़ाई आदि के लिये भूमि का कुछ हिस्सा विकय किया गया है जिससे नावालिग के हित प्रभावित नहीं हैं, किन्तु इन तथ्यों पर विचार किये बिना आदेश पारित हुआ है इसलिये आदेश दिनांक 30 जनवरी, 06 को पुनरावलोकन में लेकर सुनवाई की जावे। 4/ आवेदिका के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को एंव पुनावलोकन आवेदन में दिये गये आधारों का अवलोकन करने पर पाया गया कि न्यायालयीन प्र.क.1086/III/2005 में	

तत्कालीन सदस्य व्दारा पारित आदेश दिनांक 30–01–06 में संपूर्ण तथ्यों पर विचार कर निर्णय लिया है एंव बिना सक्षम अनुमति के नावालिग की भूमि का विकय पाये जाने से अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। आवेदिका के अभिभाषक अन्य कोई नया आधार नहीं बता सके, जिसके कारण आदेश दिनांक 30.1.06 का पुनरावलोकन किया जा सके। संहिता की धारा 51 के अनुसार पुनरावलोकन हेतु कम से कम निम्न आधारों में से कोई प्रबल आधार होना चाहिये –

1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चला लिया है जो सम्यक तत्परता बरतने पर भी उसय समय जब आदेश किया गया था, पक्षकार के संज्ञान में नहीं आई अथवा उसके व्दारा पेश नहीं की जा सकी।
2. मामले के अभिलेख से प्रकट कोई ऐसी भूल या गलती, जो स्पष्ट दिखाई देती हो, भी नहीं बता सके हैं।
3. अन्य ऐसा कोई पर्याप्त कारण भी नहीं बता सके, जिसके आधार पर तत्कालीन सदस्य व्दारा पारित आदेश दिनांक 30–01–06 का पुनरावलोकन किया जाना लाजमी हो।

आवेदिका के अभिभाषक आदेश दिनांक 30.1.06 के पुनरावलोकन किये जाने हेतु कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं कर सके एंव यह भी समाधान नहीं करा सके कि उक्त आदेश का पुनरावलोकन किया जाना किन कारणों से लाजमी है। अतः पुनरावलोकन आवेदन अमान्य किया जाता है। पक्षकार टीप करें। प्रकरण अंक से कम किया जाकर रिकार्ड रूम में जमा करें।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर